भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

सोमवार, 2 मई, 2016/12 वैशाख, 1938 (शक) **अतारांकित प्रश्न संख्या 1219**

ईपीएफओ आहरण पर प्रतिबंध

1219. श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री राजन विचारे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) से कर्मचारी के अंशदान के आहरण को शासित करने वाले वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने 58 वर्ष की उम्र से पूर्व ईपीएफएस से कर्मचारी के अंशदान के आहरण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी कारखानों में काम करने वाले कामगारों और जिन लोगों ने स्वयं को ईपीएफ योजना में नामांकित कराया है, उन पर उक्त निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कोई सदस्य नियोक्ता के अंशदान के हिस्से और स्वयं के हिस्से दोनों को निम्नलिखित परिस्थितियों में निकाल सकता है:-

(i) 55 वर्ष की आयु के हो जाने के उपरांत सेवा से सेवा निवृत्ति पर।

(ii) शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी के कारण कार्य हेतु स्थायी और पूर्ण अक्षमता के कारण सेवा निवृत्ति पर।

(iii) भारत से विदेश में स्थायी रुप से बसने हेतु प्रवसन पर।

(iv) सामूहिक अथवा ब्यष्टिक छंटनी की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिए जाने पर।

(v) सेवा निवृत्ति की स्वैच्छिक योजना के तहत सेवा समाप्त कर दिए जाने पर।

(vi) किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं रहने पर।

(ख): जी, हां। तथापि, 58 वर्ष की आयु तक 3.67 प्रतिशत के नियोक्ता के अंशदान के हिस्से की निकासी को प्रतिबंधित करने वाली दिनांक 10.02.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158(अ) अब 19.04.2016 को सरकार द्वारा वापस ले ली गई है।

(ग): प्रश्न के भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ): प्रश्न के भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****